

Most Urgent/
Time Bound/Reminder-II

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा,
चंडीगढ़।

सेवा में,

1. उप निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, अम्बाला, फरीदाबाद व सोनीपत।
2. सभी सहायक श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य, श्रम विभाग।
(अम्बाला, भिवानी, झज्जर, कैथल, करनाल, पंचकूला, पानीपत-1,
रेवाड़ी, रोहतक, सोनीपत-1 व 11 को छोड़कर)

क्रमांक: स्था0/01/2021/ 19986-20010

दिनांक: 24/08/2021


Subject:- Regarding providing of email ids (NIC only).

उपरोक्त विषयोक्त पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 17693-730 दिनांक 02.08.2021 व स्मरण पत्र-1 क्रमांक 18726-65 दिनांक 13.08.2021 के संदर्भ में।

विषयोक्त मामलों में आपको सूचित किया गया था कि आप अपने-2 कार्यालय की ई-मेल आई0डी0 (NIC only) बनवाकर मुख्यालय को दो दिन के अन्दर-2 भिजवाना सुनिश्चित करें, परंतु प्राप्त सूचनाओं का अवलोकन करने उपरांत पाया गया है कि आप द्वारा व्यक्तिगत ई-मेल आई.डी. की जानकारी दी गई है, जबकि कार्यालय द्वारा आपको सूचित किया गया था कि आप अपने कार्यालय की ई-मेल आई.डी. (NIC only) बनवाकर सूचित करें।

अतः आपको पुनः निर्देश दिये जाते हैं कि आप अपने-2 कार्यालयों से सम्बन्धित एन0आई0सी0 ई-मेल आई0डी0 मुख्यालय को दो दिन के अन्दर-2 भिजवाना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की देरी के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

कृप्या इसे परम अग्रता दें।


अधीक्षक (स्था0),
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।
